No. K-43013(12)/1/2021-SEZ
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
(SEZ Section)
...

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated the 14th July, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Publication of the Notification for Amendment is SEZ Rules, 2006 - Reg.

The undersigned is directed to forward herewith a notification dated 14th July, 2022 (in both English and Hindi) on the above subject for publication in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i).

Encl. As above.

14/7/22

(Sumit Kumar Sachan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23062496
Email: sumit.sachan@nic.in

To,

The Manager
Government of India Press
Mayapuri, New Delhi

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i)]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 July, 2022

G.S.R. -----(E). - In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 43, in clause (d), in the proviso,-

(a) clause (i) shall be omitted;

(b) in clause (ii), for the words "by following the procedure as laid down in (i) above", the words "subject to the condition that the Special Economic Zone unit shall ensure that the export revenue of the resultant products or services shall be accounted for by the Special Economic Zone unit" shall be substituted.

3. After rule 43 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -

"43A. Work from Home. – (1) An Unit may permit its employees, including contractual employees, specified in sub-rule (2), to work from home or from any place outside the Special Economic Zone in accordance with this rule.

(2) The following employees of an Unit are covered under sub-rule (1),-

(i) employees of the Information Technology and Information Technology enabled Services Special Economic Zone units;

(ii) employees, who are temporarily incapacitated;

(iii) employees, who are travelling; and

(iv) employees, who are working offsite.

(3) The Unit shall submit its proposal for work from home to the Development Commissioner through email or physical application, which shall contain the terms and conditions of work from home, including the date from which the permission for work from home shall be utilised and the details of the employees to be covered by such permission for work from home.

(4) The Development Commissioner, on receipt of the proposal under sub-rule (3), if satisfied that the proposal complies with this rule, may grant the permission to the proposal of the Unit which shall be valid for a period of one year from the date of such permission.

(5) The Development Commissioner may, on receipt of an application for extension of the permission, if he is satisfied with the proposal and that the Unit and its employees have complied with this rule, extend the permission for such period, not exceeding one year at a time.

(6) Every proposal for permission of work from home or an application for extension of the permission shall be submitted, at least fifteen days in advance, to the Development Commissioner, except in case of the employees who are temporarily incapacitated or travelling.

(7) The proposal for work from home shall cover a maximum fifty per cent of the total employees, including contractual employees, of the Unit and the Unit shall maintain accurate attendance record for the entire period of permission for work from home and shall submit to the Development Commissioner, from time to time.

(8) The Development Commissioner may approve a higher number of employees to work from home for any bona-fide reason to be recorded in writing.

(9) An Unit, where, its employees are working from home or from any place outside the Special Economic Zone on the date of commencement of the Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2022 shall submit its proposal for permission to the Development Commissioner within ninety days from the date of such commencement.

(10) The work to be performed by the employee permitted to work from home under this rule shall be as per the services approved for the Unit, and the work is related to a project of the Unit.

(11) The Unit shall ensure export revenue of the resultant products or services to be accounted for by the Unit to which the employee is tagged.

(12) Where an employee ceases to be part of the project of the Unit, the employee shall be un-tagged from the Unit and the Unit shall surrender the identity card as per sub-rule (2) of rule 70.

(13) The Unit may provide to an employee such goods, including laptop, computer, video projection system, other electronic equipment and secured connectivity (for virtual private network, virtual desktop infrastructure) to establish a connection between the employee and work related to the project of the unit with the prior permission of the Specified Officer to temporarily remove such goods to the Domestic Tariff Area without payment of duty or integrated goods and services tax, subject to the following procedure, namely:-

(i) the unit shall account for the goods removed temporarily;

(ii) the unit shall issue a certificate authorising the employee by name and giving the full specification, namely, serial number and model number and make of the equipment intended to be taken outside the processing area temporarily and a copy of the certificate shall be endorsed to the Specified Officer and acknowledgement received by the Unit; and

(iii) the Unit shall maintain a record of such certificate of authorisation issued under clause (ii) for temporary removal of equipment.

(14) Notwithstanding anything in sub-rule (1) of rule 50, the Specified Officer may approve the removal of goods mentioned in sub-rule (13), required by an employee permitted to work from home and shall be valid up to such period the permission for work from home under this rule is valid."

[F.No. K-43013(12)/1/2021-SEZ]

(Vipul Bansal)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 519 (E), dated the 6th July, 2022.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

सा.का.नि . --- - (अ) – केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005(2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 43 के खंड (घ) के परंतुक में, -

(क) खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ii) में, शब्दों "उपरोक्त (i) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके" के स्थान पर "इस शर्त के अधीन कि विशेष आर्थिक जोन इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि परिणामी उत्पादों अथवा सेवाओं के निर्यात राजस्व का लेखा-जोखा विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा रखा जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 43 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"43 क. घर से कार्य -(1) एक इकाई अपने कर्मचारियों को, जिसमें उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं, को इस नियम के अनुसार घर से या विशेष आर्थिक जोन के बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति दे सकती है।

(2) एक इकाई के निम्नलिखित कर्मचारियों को उप-नियम (1) के अधीन शामिल किया गया है, -

(i) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं विशेष आर्थिक जोन इकाइयों के कर्मचारी;

(ii) कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं;

(iii) कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं; तथा

(iv) कर्मचारी , जो ऑफसाइट कार्य कर रहे हैं।

(3) इकाई घर से काम करने के लिए अपना प्रस्ताव विकास आयुक्त को ईमेल या वास्तविक आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करेगी, जिसमें घर से कार्य करने की अनुमति के उपयोग की तारीख सहित घर से काम करने के निबंधन और शर्तें और घर से कार्य करने की ऐसी अनुमति में शामिल किए गए कर्मचारियों के विवरण का ब्यौरा शामिल होगा।

(4), उप-नियम (3) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, विकास आयुक्त यदि संतुष्ट है कि प्रस्ताव इस नियम का अनुपालन करता है, तो इकाई के प्रस्ताव को अनुमति दे सकता है जो ऐसी अनुमति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(5) विकास आयुक्त, अनुमति के विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, यदि वह प्रस्ताव से संतुष्ट है और कि इकाई और उसके कर्मचारियों ने इस नियम का पालन किया है, तो ऐसी अवधि के लिए अनुमति का विस्तार कर सकते है, जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(6) घर से कार्य करने की अनुमति के लिए प्रत्येक प्रस्ताव अथवा अनुमति के विस्तार के लिए आवेदन, कम से कम पंद्रह दिन पहले, विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा, सिवाय उन कर्मचारियों के जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं अथवा यात्रा कर रहे हैं ।

(7) घर से कार्य के प्रस्ताव में इकाई के संविदा कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों का अधिकतम पचास प्रतिशत शामिल होगा और इकाई घर से कार्य करने की अनुमति की पूरी अवधि के लिए सटीक उपस्थिति रिकॉर्ड बनाए रखेगी तथा समय-समय पर विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी ।

(8) विकास आयुक्त लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी वास्तविक कारण के लिए घर से कार्य करने हेतु कर्मचारियों की एक उच्च संख्या का अनुमोदन दे सकता है।

(9) एक इकाई, जहां उसके कर्मचारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ होने की तारीख पर घर से अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थान से कार्य कर रहे हैं, ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर विकास आयुक्त को अनुमति के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(10) इस नियम के अधीन घर से काम करने हेतु अनुमत कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला कार्य इकाई के लिए अनुमोदित सेवाओं के अनुसार होगा, और कार्य इकाई की एक परियोजना से संबंधित है।

(11) इकाई परिणामी उत्पादों या सेवाओं के निर्यात राजस्व का लेखा जोखा उस इकाई द्वारा रखा जाना सुनिश्चित करेगी, जिसमें कर्मचारी को टैग किया गया है ।

(12) जहां कोई कर्मचारी इकाई की परियोजना का हिस्सा नहीं रहता है, कर्मचारी को इकाई से अन-टैग कर दिया जाएगा और इकाई द्वारा नियम 70 के उप नियम (2) के अनुसार पहचान पत्र सौंप दिया जाएगा।

(13) इकाई विनिर्दिष्ट अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ जो निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन, शुल्क अथवा एकीकृत माल और सेवा कर के भुगतान के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र से ऐसे माल को अस्थायी रूप से हटाकर कर्मचारी को लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और सुरक्षित कनेक्टिविटी (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल डेस्कटॉप इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए) सहित ऐसे सामान प्रदान कर सकती है, जिससे कि कर्मचारी और इकाई की परियोजना से संबंधित कार्य के बीच संबंध स्थापित किया जा सके, अर्थात्:

(i) इकाई, अस्थायी रूप से हटाए गए सामान के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ii) इकाई, कर्मचारी को नाम से प्राधिकृत करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगी और पूर्ण विनिर्देशन, अर्थात् सीरियल नंबर तथा मॉडल नंबर तथा उपकरण का मेक के साथ अस्थायी रूप से प्रसंस्करण क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगी तथा प्रमाण पत्र की प्रति विनिर्दिष्ट अधिकारी को पृष्ठांकित करेगी और इकाई द्वारा प्राप्त पावती प्राप्त की जाएगी; तथा

(iii) इकाई प्राधिकार के ऐसे प्रमाण पत्र का एक रिकॉर्ड बनाए रखेगी जो उपस्कर को अस्थायी रूप से हटाने के लिए खंड (ii) के अधीन जारी किया गया है।

(14) नियम 50 के उप-नियम (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट अधिकारी घर से कार्य करने के लिए अनुमत कर्मचारी द्वारा अपेक्षित उप-नियम (13) में उल्लिखित वस्तुओं को हटाने की मंजूरी दे सकता है और इस नियम के अधीन घर से कार्य की अनुमति की समयावधि के लिए विधिमान्य होगी ।"

[फा.सं. के-43013(12)/ 1 / 2021-एसईजेड]

(विपुल बंसल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड 3, उप-खंड (i), में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54) (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.519 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।